न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश VIII, वैशाली, हाजीपुर ।
नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–443/26
दीपक कुमार बनाम् बिहार सरकार
सराय थाना कांड 88/26
अंतर्गत धारा–317(2), 317(4) 3(5)बी0एन0एस0

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–455/26
संतोष राय बनाम् बिहार सरकार
सराय थाना कांड 88/26
अंतर्गत धारा–317(2), 317(4) 3(5)बी0एन0एस0

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–453/26
मनीष कुमार बनाम् बिहार सरकार
सराय थाना कांड 88/26
अंतर्गत धारा–317(2), 317(4) 3(5)बी0एन0एस0

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–447/26
गौतम सहनी बनाम् बिहार सरकार
सराय थाना कांड 88/26
अंतर्गत धारा–317(2), 317(4) 3(5)बी0एन0एस0

24.04.2026 आवेदक **दीपक कुमार, संतोष राय, मनीष कुमार एवं गौतम सहनी** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन दि0 01.04.2026, 02.04.2026, 02.04.2026 एवं 01.04.2026 को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण ने किसी भी अन्य न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण दिनांक–16.03.2026 से न्यायिक हिरासत में है तथा आवेदकगण निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है तथा आवेदक का कथित अपराध के घटित होने से कोई संबंध नहीं है। आवेदक के कब्जे से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ है। कथित जप्ती का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और जप्ती सूची के गवाह पुलिसकर्मी है, जिससे जप्ती अत्यधिक संदिग्ध हो जाती है। अतः आवेदक को जमानत दी जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से आवेदन का विरोध किया गया है और इसे खारिज करने की प्रार्थना करते है।

सुना। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि सूचक सुनील कुमार सिंह वर्तमान में सराय थाना में पु0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित है। दिनांक–15.06.2025 को समय 22:00 बजे सराय थाना मे प्रतिनियुक्त दल के साथ रात्रि गस्ती में थाना से प्रस्थान किया। गस्ती करते सूरज चौक सराय पहुंचा तो दिनांक–15.03.2026 को समय 22:10 बजे सूचना मिली कि ग्राम अकबर मलाही रेलवे गुमटी के पूरब कुछ लोग चार ट्रक चोरो को चोरी के ट्रक के साथ पकड़े हुए है एवं काफी भीड़ है तथा उग्र भीड़ द्वारा उन चारो को मारपीट भी कर रहे हैं इस आशय की सूचना सूचक श्रीमान को दिया एवं निर्देशानुसार सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सुरज चौक सराय से प्रस्थान कर 22:30 बजे अकबर मलाही रेले गुमटी के पास पहुंचा तो, देखा कि करीब 100–150 व्यक्तियों की भीड़ इकठ्ठा है तथा पास में ही एक 12 चक्का ट्रक एवं एक लाल रंग का पुराना वैगनार कार भीड़ द्वारा पकड़े गए चार व्यक्तियों के साथ धक्का मुक्की एवं मारपीट भी किया जा रहा तुरंत उग्र भीड़ से उन चारो को मुक्त कराकर अपने कब्जे में लिया तथा उनका बारी बारी से नाम पता पूछा तो चारो ने अपना अपना नाम दीपक कुमार, गौतम सहनी, मनीष कुमार संतोष राय बताया चारो का जमा तलाशी लिया तो पकड़े गए दीपक कुमार के पास से विवो कंपनी का मोबाईल जिसका आई0एम0ई0आई0 नं0–1 862888057473931 एवं

Date of Judgment/Order	24-04-2026
Date of Reserving Judgement/ Order	-
Uploading Date	27-04-2026
Uploaded by	Jamiruddin Ansari, C.R Cum D.W

web copy not official

2 862888057473923 जिसमें मोबाईल नं0–7449710150 सिम लगा हुआ 3 मनीष कुमार के पास से एक टेक्नो कंपनी का मोबाईल जिसका आई0एम0ई0आई0 नं0–35094603063105 2 350946030363113 जिसमें मोबाईल नं0–7631171307 एवं 6202820980 सिम लगा हुआ था 4 संतोष राय के पास से एक टेक्नो कंपनी का मो0 फोन जिसका आई0एम0ई0आई0 नं0 1 35466822238172178 2 35466822238173978 है जिसमें मो0 नं0–7372840068 एवं 95769998731 का सिम लगा हुआ बरामद हुआ तब भीड़ में शामिल लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ किया तो, कुछ लोग अपना नाम नहीं बताते हुए यह बताये कि विगत कुछ दिनों में इस स्थान से 03–04 ट्रकों की चोरी हो गई है। हमलोग बचाव के लिए इस स्थान का टीम बनाकर निगरानी कर रहे हैं कि आज 22:30 बजे रात्रि में आगे आगे लाल रंग की वैगनार कार एवं उसके पीछे एक 12 चक्का ट्रक जा रही है, दोनों गाड़ी रेलवे गुमटी के पास जाकर रूक गई एवं गाड़ी बंद हो गई। वैगनार कार से ये पकड़े गए चारो व्यक्ति बाहर निकले तथा ट्रक के ड्राईविंग सीट से एक व्यक्ति निचे उतरा एवं ट्रक का टंकी का ढ़क्कन खोल कर देखने लगा। हमलोगों को उनकी गतिविधि देखकर कुछ शंका हुआ तो ट्रक एवं कार के पास आये तो उन पांचो से पूछा कि यह गाड़ी किसका है तथा इसका मालिक कौन है इतने पर ट्रक का चालक पेशाब करने के बहाने गुमटी के उस पश्चिम गया एवं भाग गया। तब दल का शंका और गहरा हो गया। ये चारो ट्रक के मालिक का नाम नहीं बता पाए इतने में इस घटना को सुनकर काफी लोग इकठ्ठा हो गए तथा पकड़े गये चारो के साथ मारपीट करने लगे तब सराय थाना को सूचित किया गया जहां आकर इन चारो को कब्जे में लिए। पकड़े गए चारो से पूछताछ किया तो चारो ने स्वीकार किया कि वेलोग ट्रक चोरी करके कबाड़ी में बेच देते हैं। दीपक भी चोरी के ट्रक को काटने का काम करता है, तत्पश्चात वहां खड़े ट्रक रजि0 नं0–सी.जी.04जे.डी–2709 का के बॉडी पर अंकित मोबाईल नं0–8319943947 पर अपने मोबाईल फोन नं0–7667927310 से समय 22:49 बजे बातचीत किया। बातचीत करने वाला व्यक्ति स्वंय को ट्रक का मालिक बताया तथा बताया कि मेरा मेरा उक्त ट्रक को ड्राईवर दिनांक–02.03.2026 को लोड लेने के लिए बी0एस0 स्पंज तराईमाल गया था, दिनांक–03.03.2026 तक उसी गाड़ी वहां दिखी थी, दिनांक–06.03.2026 को उसकी ड्राईवर से अंतिम बार बात हुयी थी लेकिन उसकी गाड़ी का ड्राईवर कही लेकर चला गया और अपने किराए के घर मकान में ताला बंद कर भाग गया है, तब सूचना छतीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिलान्तर्गत पूंजीपथरा थाना में धारा 173 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी सं0–34 / 2026 दिनांक–08.03. 2026 धारा 316(3) बी0एन0एस0 के अंतर्गत दर्ज करवाया है इनके द्वारा सूचक के व्हाट्सएप पर उक्त प्राथमिकी की कॉपी भी भेजी गई, जो इस आवेदन के साथ संलग्न है। इस बातीचत से यह पुष्टि हो गई कि उक्त ट्रक चोरी की है पूछताछ के क्रम में चारो के द्वारा बताया गया कि वेलोग ट्रकों चोरी कर हाजीपुर सदर थानान्तर्गत रजौली एच0पी0 पेट्रोल पंप के सामने फारूक मोबाईल नं0–9934092363 के कबाड़ी दुकान पर बेच देते है तथा हमलोगो के साथ पकड़े गए दीपक कुमार जिसका लालगंज पोझिया में ट्रक बॉडी बनाने का गैरेज है वहां ले जाकर के ट्रक को पार्ट पार्ट काटकर बेच देते है। आज भी हमलोग फारूक के कबाड़ी दुकान से इस ट्रक को लेकर दीपक के गैरेज में काटने के लिए ले जा रहे थे ट्रक को राकेश कुमार चला रहा था, जो पेशाब करने के बहाने यहां से भाग गया। गाड़ी चोरी में मेन भूमिका सारण जिला के सोनपुर थानान्तर्गत सबलपुर गांव के भूषण राय निभाते है। वही गाड़ी चोरी करने का स्कीम भी बनाते हैं। आज भी कई बार हमलोगों की बातचीत भूषण राय से हुयी है। इस बात की स्वीकारोक्ति के पश्चात् बरामद ट्रक एवं वैगनार को पकड़े गए चारो के पास से बरामद मोबाईल फोन का विधिवत् जप्ती सूची तैयार कर जप्त किया तथा पकड़े गए उपरोक्त चारो की चोरी के ट्रक के साथ पकड़े जाने के आरोप में विधिवत् गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चारो को अपने गाड़ी में बैठाकर थाना के लिए प्रस्थान करने वाला ही थाा कि उसी बीच एक उजला रंग की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी बेलकुंआ की ओर से आई एवं रेलवे गुमटी पार कर रहा था कि उसी बीच भीड़ में शामिल लोग कुछ रेलवे लाईन पर करके तो कुछ गाड़ी के पीछे पीछे उक्त गाड़ी को रोकने का प्रयास करने लगे तथा उक्त गाड़ी पर मिट्टी पत्थर भी चलाने लग। उक्त गाड़ी घटना स्थल से करीब 500 गज आगे जाकर रूक गई। भीड़ द्वारा उक्त गाड़ी में अकेले बैठे व्यक्ति को मारपीट किया जाने लगा। गाड़ी का आगे पीछे एवं साईड का शीशा भी टॅट चुका था, तुरंत ही सूचक भीड़ द्वारा मारपीट कर रहे उक्त व्यक्ति को बचाव हेतु भी अपने कब्जे में लिया तथा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गोविन्द कुमार बताया तथाा बताया कि उसका भी ट्रक चलता है तथा वह अपने ट्रक के चालक को तेल का पैसा देकर घर वापस लौट रहा था कि पूर्व के विवाद को लेकर भीड़ में शामिल सभी अज्ञात लोग सूचक की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिए है तथा सूचक के साथ मारपीट भी किये इस क्रम में सूचक का फोन भी कही गिर गया जिसमें मोबाईल नं0–7368060474

web copy not official

लगा हुआ था। ट्रक चोरी की घटना में संलिप्तता के सम्बंध में पकड़े गए चारो के मोबाईल फोन के कॉल डिटेल्स से चेक किया तो कही भी और कभी भी गोविन्द कुमार के मोबाईल नं0 पर बातचीत नही हुई है तथा पकड़े गए चारो के द्वारा भी गोविन्द कुमार के संबंध में पूछने पर उनहें पहचानने से इंकार किया गया। जब सूचक जप्त गाड़ियों एवं मोबाईल फोन तथा अभियुक्तों के साथ थाना वापस आ रहा था तो अभियुक्तों द्वारा तथा गोविन्द कुमार द्वारा तुरंत चिकित्सीय सहायता की मांग की गई। तब थाना पर जप्त गाड़ियों एवं मोबाईल फोन को थाना मालखाना में सुरक्षित रखकर गिरफ्तार चारो अभियुक्तों एवं भीड़ द्वारा मारपीट में चोटिल गोविन्द कुमार के साथ लेकर ईलाज हेतु सदर हाजीपुर के लिए प्रस्थान किया। जहां दिनांक–16.03.2026 को 06:00 बजे सुबह तक चारो का ईलाज हुआ तब सूचक अपना आवेदन टंकित किया एवं तत्पश्चात् जप्ती सूची एवं गिरफ्तारी ज्ञापन के साथ अपना समर्पित किया। गिरफ्तार चारो अभियुक्तों को थाना हाजत में बंद कर पहरा को सतर्क किया एवं मारपीट में चोटिल गोविन्द कुमार को थाना सिरिस्ता में सुरक्षार्थ बैठाया गया तथा इनोवा क्रिसटा गाड़ी को थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। गोविन्द कुमार के परिजन को इसकी सूचना दिया गया।

केस डायरी के कंडिका–02 में वादी ने अपने पुर्न बयान में तथा कंडिका–03 एवं 04 में साक्षियों ने अपने–अपने बयान में घटना का समर्थन किया है, जो सभी पुलिस बल के सदस्य है तथा किसी भी स्वतंत्र साक्षी का बयान केस डायरी में अंकित नही है तथा कंडिका–06 में अभियुक्त दिपक कुमार का अपराध स्वीकारोक्ति बयान अंकित है तथा आवेदकगण के सक्रिय कब्जे से चोरी का टक बरामद नहीं हुआ है अपितु आवेदकगण को वेगनार गाड़ी में सवार थे, तभी उन्होंने पकड़ा गया है तथा सभी चारो आवेदकगण ने अपने–अपने जमानत आवेदन में स्पष्ट कथन किया है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नही है, इस कारण प्रथम दृष्टियता वाद के इस प्रकृम पर धारा 317(4) बी0एन0एस0 प्रर्वतनीय होती प्रतीत नही होती है तथा आवेदकगण दिनांक–16.03.2026 से काराधीन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियो को देखते हुए आवेदक **दीपक कुमार, संतोष राय, मनीष कुमार एवं गौतम सहनी** को 20000(बीस हजार) रूपये के दो तथा उतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा 480(3) बी0एन0एस0एस0 के शर्त्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर वि0 विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में नियमित जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है तथा आवेदक के दोनों जमानतदार में से कोई एक जमानतदार आवेदक के निकट संबंधी होंगे तथा आवेदकगण अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा आवेदक विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर उचित पैरवी करेंगे तथा आवेदक आरोप गठन के बिंदु पर सुनवायी के समय तक प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष सदेह उपस्थित रहेंगे तथा आवेदक साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे तथा समान प्रकृति के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तथा उपरोक्त शर्त्तों का उल्लंघन करने पर आवेदक का बंध पत्र निरस्त किया जा सकता है।

web copy not official

लेखापित

(उमेश कुमार शर्मा)

\` जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**VIII**

Date of Judgment/Order	24-04-2026
Date of Reserving Judgement/ Order	-
Uploading Date	27-04-2026
Uploaded by	Jamiruddin Ansari, C.R Cum D.W